



आक्रामक वदिशी प्रजातियाँ

∟



आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, ऐसी गैर-स्थानिक प्रजातियाँ हैं, जिन्हें उनके प्राकृतिक आवास के बाहर लाया गया है, जो आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं।

📌 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार

- ऐसी प्रजातियाँ, जो भारत की स्थानिक नहीं हैं और जिनके प्रसार से वन्यजीवों या उनके आवास पर संकट या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है
- इसमें जानवर, पौधे, कवक और सूक्ष्मजीव भी शामिल हैं

📌 विशेषताएँ

- प्राकृतिक या मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से प्रवेश
- देशी खाद्य संसाधनों पर जीवित रहना
- तीव्र गति से पुनरुत्पादन करने की क्षमता
- संसाधनों की प्रतिस्पर्द्धा में देशी प्रजातियों के लिये संकट उत्पन्न करना

📌 वैश्विक स्तर पर आक्रामक प्रजातियाँ

"IUCN की रेड लिस्ट में शामिल 10 में से 1 प्रजाति को आक्रामक प्रजातियों से खतरा है"

- **जलकुंभी:** उच्च वैश्विक भूमि आक्रामक प्रजाति
- **लैंटाना और ब्लैक रैट:** दूसरे और तीसरे सबसे व्यापक आक्रामक प्रजातियाँ

अफ्रीकी कैटफिश, नील तिलापिया, रेड-बेलिड पिरान्हा और एलीगेटर गार भारत में आक्रामक वन्यजीवों की सूची में प्रमुख हैं।

- 📌 'जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच' (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) 2023 रिपोर्ट: विश्व भर में 37,000 स्थापित विदेशी प्रजातियाँ, सालाना 200 नई प्रजातियाँ प्रस्तुत की जाती हैं।

| आक्रामक प्रजातियाँ | प्रभाव |
|---|---|
| अफ्रीकी कैटफिश (Clarias gariepinus) | राजस्थान के केवलादेव पार्क में जलपक्षी और प्रवासी पक्षियों का शिकार, जो यूनेस्को स्थल है |
| रफ कॉकलेबर (Xanthium strumarium) | सोयाबीन, कपास, मक्का आदि जैसी कृषि क्षेत्र की फसलों के लिये गंभीर संकट। |
| कॉटन मिलीबग (Phenacoccus solenopsis) | दक्कनी कपास की फसल में गंभीर उपज हानि का कारण है |
| विलायती कीकर (Prosopis juliflora) | मैक्सिकन आक्रामक प्रजातियाँ, दिल्ली रिज (Delhi Ridge) पर प्रभावी हैं, जो एकमात्र समृद्ध वनस्पति को गंभीर नुकसान पहुँचा रही हैं। |
| यूकेलिप्टस | भारतीय शासक टीपू सुल्तान ऑस्ट्रेलियाई यूकेलिप्टस को भारत में लाए, यह गैर-आक्रामक लेकिन एलीलोपैथी प्रजाति है, जो देशीय प्रजातियों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। |
| सुबाबुल (River tamarind) | ईंधन और चारे के रूप में, जो भूजल स्तर में कमी के लिये ज़िम्मेदार है |

आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित पहल

📌 वैश्विक:

- वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (1975)
- प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (1979)
- जैविक विविधता पर अभिसमय (1992)
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढाँचा (2022)

📌 भारत:

- पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003
- राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्य योजना (2008) (लक्ष्य 4)
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPINVAS) (2021-25)



Drishti IAS

और पढ़ें: [आक्रामक विदेशी प्रजातियों का खतरा](#)

